



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122025-268727  
CG-DL-E-22122025-268727

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 819]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2025/अग्रहायण 27, 1947

No. 819]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2025/AGRAHAYANA 27, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2025

**सा.का.नि. 905(अ).**—केंद्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ग), खंड (च), खंड (ज), खंड (झ) और खंड (ध) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम विधिक मापविज्ञान (साधारण) सातवाँ संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011 के, नियम 27 के, उप-नियम (2) के, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) सभी बाटों, धारिता मापों, लंबाई के माप, टेप, बीम स्केल, काउंटर मशीन और ईंधन डिस्पेंसर (पेट्रोल और डीजल) के लिए चौबीस महीने"।

[फा. सं. I-9/12/2025-डब्ल्यूएंडएम]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 71(अ) तारीख 7 फरवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 875(अ), तारीख 28 नवंबर, 2025 द्वारा संशोधित किये गए थे।

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

**(Department Of Consumer Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2025

**G.S.R. 905(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (c), (f), (h), (i) and (s) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (General) Rules, 2011, namely:—

1 (1) These rules may be called the Legal Metrology (General) Seventh Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (General) Rules, 2011, in rule 27, in sub-rule (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) twenty-four months for all weights, capacity measures, length measures, tape, beam scale, counter machine and fuel dispensers (petrol and diesel)".

[F. No. I-9/12/2025-W&M]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.71(E), dated the 7<sup>th</sup> February, 2011 and was last amended *vide* number G.S.R 875(E), dated the 28<sup>th</sup> November, 2025.